रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/ पौष 3, 1941
No. 739] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/PAUSHA 3, 1941

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 946 (अ).—जबकि विश्व में आयुर्वेद अभ्यास की मांग और लोकप्रियता बढ़ रही है, और

जबकि विश्व भर में अनेक संगठन आयुर्वेद के शैक्षणिक कार्यक्रमों का अलग-अलग स्तरों पर आयोजन कर रहे हैं; और

जबकि आयुर्वेद की शिक्षा और अभ्यासों का अधिकांश देशों में विनियमन नहीं किया जाता, और

जबकि भारत में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के उपचारकों/फार्मासिस्टों एवं अन्य सहायक स्टाफ की शिक्षा और सेवाओं को विनियमित करने के लिए कोई विनियामक निकाय नहीं है, और

जबकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्व की बात है।

इसलिए, आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्थान 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ' को विभिन्न देशों में संचालित किए जा रहे आयुर्वेद के अलग-अलग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ' विभिन्न आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के लिए तथा आईएमसीसी अधिनियम, 1970 में शामिल नहीं किए गए उपचारकों/परामर्शदाताओं आदि सहित विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद व्यावसायिकों के लिए प्रत्यायन मानक विकसित करेगा।

इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रत्यायन हेतु एक कार्यकारी बोर्ड का गठन करेगा जिसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रत्यायन संबंधी कार्यकलापों की देखभाल करने के लिए विशेषज्ञ और प्रशासक सम्मिलित होंगे।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ पारदर्शी ढंग से प्रत्यायन दिलाएगा। इसकी शुरूआत उन देशों से की जाएगी जिनमें आयुर्वेद मान्यताप्राप्त है, लोकप्रिय है और उसकी मांग है।

[फा. सं. एल-20020/19/2013-आईसी]

पी.एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

G.S.R. 946(E).—Whereas there is a rising demand and popularity for the Ayurveda practices in the world, and

Whereas numerous organizations all over the world are conducting different levels of Ayurveda educational programmes, and

Whereas the Ayurveda education and practices are not regulated in many countries, and

Whereas there is no regulatory body to regulate the education and services of therapist/pharmacist and other supporting staff in Ayurveda, Unani, and Siddha systems of medicine in India, and

Whereas it is of prime importance to ensure the quality of education.

Therefore, the `Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth', an autonomous institute under Ministry of AYUSH is hereby notified as the accrediting agency for various Ayurveda professional courses being run in various countries.

The `Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth' shall develop accreditation standards for various Ayurveda courses as well as for different types of Ayurveda professionals not covered under 1MCC Act, 1970 including therapists / counselors etc.

For the purpose Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth will constitute an Executive Board for accreditation comprising of Experts and Administrators who will oversees the accreditation related activities of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth.

The Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth shall provide the accreditation in a transparent manner. To begin with, it would be taken up in those countries where Ayurveda is recognized or popular and in demand.

[F. No. L-20020/19/2013-IC]

P. N. RANJEET KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.27 12:21:31 +05'30'